लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ,
(नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रत्यायित)
कार्य परिषद की बैठक (संख्या 2026/01) दिनांक 05-02-2026 का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	प्रो0 जय प्रकाश सैनी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अरविन्द मोहन, संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 संगीता साहू, संकायध्यक्ष, प्रबन्ध संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 नीरज मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो0 आर0के शुक्ल	सदस्य
6.	प्रो0 बबिता जायसवाल	सदस्य
7.	प्रो0 शिव गोविन्द पुरी	सदस्य
8.	प्रो0 हरिनारायण प्रसाद	सदस्य
9.	प्रो0 मुनीश कुमार	सदस्य
10.	डॉ0 रितू नारंग	सदस्य
11.	डॉ0 अलका मिश्रा	सदस्य
12.	डॉ0 सुरेश प्रसाद कन्नौजिया	सदस्य
13.	डॉ0 अन्नामलाई सेंथल	सदस्य
14.	डॉ0 मंजुला उपाध्याय, प्रधानाचार्या, नवयुग पी0जी0 महाविद्यालय	सदस्य
15.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	पदेन सचिव
16.	श्री विद्या नन्द त्रिपाठी, परीक्षा नियन्त्रक	विशेष आमन्त्रित
17.	श्रीमती हिमानी चौधरी	विशेष आमन्त्रित

बैठक के आरम्भ में नवनियुक्त कुलपति माननीय प्रो0 जय प्रकाश सैनी का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया तत्पश्चात नवागत कार्य परिषद सदस्य, प्रो0 मुनेश कुमार, शिक्षा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का स्वागत किया गया एवं प्रो0 हरिश्चन्द्र राम, विधि विभाग, मा0 सदस्य कार्य परिषद का कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी कार्य अवधि में प्राप्त उनके सुझाव एवं सहयोग के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

तत्पश्चात कार्य परिषद के समस्त मा0 सदस्यों के स्वागतोपरान्त अध्यक्ष/कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विनिश्चय संख्या 2026/01/00 मा0 कुलपति द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए परिचय सत्र के उपरान्त कार्य परिषद सदस्यों का विश्वविद्यालय की प्रवेश, परीक्षा एवं रैंकिंग आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गई, अग्रेतर कुलसचिव को सुझाव दिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के सम्बन्ध में 'प्रारम्भिक उदबोधन' को कार्य सूची के प्रथम बिन्दु के रूप में प्रस्तुत किया जाय।

विनिश्चय संख्या 2026/01/01:- कार्य परिषद की बैठक (संख्या 04/2025) दिनांक 26-07-2025 कृत कार्यवाही आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक (संख्या 04/2025) दिनांक 26.07.2025 के कार्यवृत्त को निम्नवत संशोधनों के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:--

क्रम सं0	कार्य परिषद बैठक की तिथि	विनिश्चय संख्या	संशोधन
1.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत क्रम संख्या 04 पर अंकित Dr. Shailendra Pratap Singh, Associate Professor, Department of English and Modern European Lang. (French) के प्रोन्नत पद में अंकित **Stage-3 के स्थान पर Stage-5** पढ़ा एवं समझा जाय।
2.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत क्रम संख्या 10 पर अंकित डॉ0 अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग के प्रोन्नत पद के प्रोन्नत पद में अंकित **Stage-3 के स्थान पर Stage-4** पढ़ा एवं समझा जाय।
3.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	कैरियर एडवान्समेंट योजना (CAS) के अन्तर्गत क्रम संख्या 17 पर अंकित Dr. Chandra Sen Pratap Singh, Assistant Professor, Department of Law के प्रोन्नत पद में अंकित **Stage-3 के स्थान पर Stage-4** पढ़ा एवं समझा जाय।
4.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	Department of Psychology एवं Department of Sociology के अन्तर्गत **S.C.** एवं **OBC** वर्ग के विज्ञापित पद नामों को **Assistant Professor** के स्थान पर **Associate Professor** पढ़ा एवं समझा जाय।
5.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	Jai Shankar Prasad Pandey, Professor, Department of Sociology के विभाग का नाम **Department of Social Work** के स्थान पर **Department of Sociology** पढ़ा एवं समझा जाय।
6.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	Anjali Mishra, Assistant Professor, Department of Social Work का पद नाम **Assistant Professor** के स्थान पर **Assistant Professor, (Contractual) Social Work (M.A MSW) (SF)** पढ़ा एवं समझा जाय।
7.	**26-07-2025**	**2025/04/02**	**Ram Krishan Pandey,** Professor, (Contractual) Department of Computer Science and Engineering के स्थान पर **Ravi Krishan Pandey** पढ़ा एवं समझा जाय।

मा0 कार्य परिषद द्वारा पूर्व में सम्पन्न कार्य परिषद की निम्नांकित बैठकों के कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही आख्या पर निम्न संशोधन किये जाने पर सहमति प्रदान कीः—

1.	**25-06-2025**	**2025/03/01**	मा0 कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक संख्या 02/2025 दिनांक 08.05.2025 की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही आख्या में किये गये संशोधन के क्रमांक 2 पर अंकित डॉ0 संजय सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग के स्थान पर डॉ0 संजय सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग पढ़ा एवं समझा जाय।
2.	कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.05.2025 में प्रस्तुत स्थायीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव में डॉ0 अंजली गुलाटी, एसोसिएट प्रोफेसर, पुस्तकालय एवं सूचना विभाग की अंकित नियुक्ति पत्र संख्या आर/1323 दिनांक 22.10.2022 के स्थान पर पत्र संख्या आर/1327/2022 दिनांक 22.10.2022 पढ़ा एंव समझा जाय।		
3.	कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.03.2025 के मद संख्या 2025/01/06 के प्रस्तर 04 के द्वितीय पंक्ति में अंकित 'नए विभाग प्रबन्ध विभाग' से 'नए विभाग' को विलोपित किया जाता है। अतः उक्त मद को उक्तानुसार संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय।		

मद संख्या 2026/01/02:- कार्य परिषद की बैठक (संख्या 04/2025) दिनांक 26-07-2025 कृत कार्यवाही आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की बैठक (संख्या 04/2025) दिनांक 26-07-2025 की कृत कार्यवाही आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/03:- कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 05/2025) दिनांक 04-09-2025 का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 05/2025) दिनांक 04-09-2025 के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/04:- कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 05/2025) दिनांक 04-09-2025 की कृत कार्यवाही मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 05/2025) दिनांक 04-09-2025 की कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/05:- कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 06/2025) दिनांक 03-10-2025 का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 06/2025) दिनांक 03-10-2025 के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/06:- कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 06/2025) दिनांक 03-10-2025 की कृत कार्यवाही आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक (संख्या 06/2025) दिनांक 03-10-2025 की कृत कार्यवाही आख्या पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/07:- विद्या परिषद की बैठक (संख्या 02/2025) दिनांक 08-08-2025 का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विद्या परिषद की बैठक (संख्या 02/2025) दिनांक 08-08-2025 के कार्यवृत्त के अन्त में डीन अकाद्मिक द्वारा शोध अध्यादेश में निर्धारित समयावधि में 13 शोधार्थियों को शोध ग्रन्थ जमा करने हेतु तीन माह की समयावधि विस्तारित की गई थी जिसमे से 02 शोधार्थियों सुश्री नीलम सिंह, शोध छात्रा, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एवं श्री शिशुपाल सिंह, शोध छात्र, राजनीतिशास्त्र विभाग द्वारा अपरिहार्य कारणों से अपना शोध ग्रन्थ उक्त अवधि में जमा नहीं किया जा सका, उन्हें अपना शोध ग्रन्थ जमा करने हेतु तीन माह का अतिरिक्त समय विस्तारित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/08:- लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत (CAS) दिनांक 25.10.2025 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफे को खोले जाने एवं तद्नुसार चयन समिति की संस्तुतियॉ विचारार्थ/अनुमोदनार्थ मा0 कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत (CAS) दिनांक 25.10.2025 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों के सीलबन्द लिफाफे को मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोले जाने हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

तत्पश्चात मा0 कार्य परिषद के समक्ष चयन समिति की संस्तुतियॉ के सीलबंद लिफाफे मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोले गयें जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	शिक्षक का नाम	वर्तमान पद नाम	विभाग का नाम	प्रोन्नत पद नाम	अनुमन्यता की तिथि
1.	डॉ0 ज्योत्सना सिंह	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	ऐकेडमिक लेबल–14 (प्रोफेसर स्टेज–5)	10-06-2019
2.	डॉ0 अतुल श्रीवास्तव	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	ऐकेडमिक लेबल–14 (प्रोफेसर स्टेज–5)	10-06-2019
3.	डॉ0 दया शंकर	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	ऐकेडमिक लेबल–14 (प्रोफेसर स्टेज–5)	10-06-2019
4.	डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	ऐकेडमिक लेबल–14 (प्रोफेसर स्टेज–5)	10-06-2019
5.	डॉ0 आशीष अवस्थी	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	ऐकेडमिक लेबल–14 (प्रोफेसर स्टेज–5)	10-06-2019
6.	डॉ0 महेन्द्र कुमार	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	प्रोफेसर ऐकेडमिक लेबल–14	27-09-2019
7.	डॉ0 चन्दकि राम गौतम	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	प्रोफेसर ऐकेडमिक लेबल–14	16-07-2020
8.	डॉ0 पुनीत कुमार	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	प्रोफेसर ऐकेडमिक लेबल–14	30-06-2022
9.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	प्रोफेसर ऐकेडमिक लेबल–14	09-11-2023
10.	डॉ0 विवेक कुमार सिंह	ऐसोसिएट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	प्रोफेसर ऐकेडमिक लेबल–14	24-12-2024
11.	डॉ0 भूपेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	असिस्टेंट प्रोफेसर लेबल–12	17-05-2025
12.	डॉ0 संदीप कुमार पुण्डीर	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	असिस्टेंट प्रोफेसर लेबल–12	13-05-2025
13.	डॉ0 विनोद कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	असिस्टेंट प्रोफेसर लेबल–12	25-05-2025
14.	डॉ0 अनार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विभाग	असिस्टेंट प्रोफेसर लेबल–12	01-06-2025

क्रमांक 01 से 14 तक अंकित सूची के अनुसार मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/09:- परीक्षा समिति की दिनांक 15-10-2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की दिनांक 15-10-2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/10:- प्रवेश समिति की दिनांक 23-09-2025 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

प्रवेश समिति की दिनांक 23-09-2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/11:- डॉ0 मो0 सिराजुद्दीन, प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में रीडर/सहआचार्य के पद पर दिनांक 27.07.2007 से तथा दिनांक 11.04.2012 से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक **01.01.2026** को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुकें हैं। डॉ0 मो0 सिराजुद्दीन को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए **"शिक्षक श्री सम्मान–2017"** से अलंकृत किया गया है। विश्वविद्यालय की परिनियमावली के संशोधित परिनियम **15.24(2)** में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/12:- शासनादेश संख्याः 1890/सत्तर--6--97--17(39)/94 दिनांक 26 सितम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्याः 14/ 2024 /सा0--3--243/दस--2024/301(01)/2024 दिनांक 08 जून, 2024 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों जिनका विवरण उनके नाम के सम्मुख अंकित है के द्वारा पूर्व संस्था में की गयी सेवा अवधि को मात्र पेंशन लाभ हेतु आगणित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः--

क्रम संख्या	नाम/पदनाम	विभाग का नाम	पूर्व संस्थान का नाम	पूर्व संस्थान में की गयी सेवा की अवधि	लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि
1.	डॉ0 ओंकार नाथ उपाध्याय, प्रोफेसर	अंग्रेजी विभाग	के0एस0 साकेत, पी0जी0 कालेज अयोध्या फैजाबाद	दिनांक **01-12-2000** से **14-10-2010** पूर्वान्ह	**14-10-2010** अपराह्न
2.	डॉ जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, प्रोफेसर	समाज शास्त्र विभाग	डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर, बी.एस.एन.वी.पी.जी कालेज लखनऊ	दिनांक **10-11-2001** से **13-11-2019** दिनांक **14-11-2019** से **26-07-2025** अपराह्न (दिनांक **10-11-2001** से **26-07-2025** तक)	**26-07-2025** अपराह्न

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/13:- लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यापार प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 प्रिया द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 30-08-2023 से पूर्व अलग--अलग संस्थानों में नियत वेतन पर दिनांक30-08-2006 से 30-08-2023 तक की गयी सेवा को प्रोन्नति हेतु आगणित करने सम्बन्धी प्रकरण पर निदेशक विधिक की निम्नवत आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः--

"डॉ0 प्रिया की विभिन्न संस्थानों में दिनांक 30.08.2006 से 30.08.2023 तक की गयी सेवायें मौलिक पद पर नही थी और न ही उचित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत है। उक्त सेवायें आगणन हेतु मौलिक पद पर नियुक्ति होना अनिवार्य है। परिनियमावली 18.05 (d & e) में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत अन्यत्र संस्थानों में इस प्रकार की गयी सेवाओं की उक्त अवधि को वरिष्ठता हेतु आगणित किया जाना नियमानुकूल नही है"

मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 प्रिया द्वारा प्रार्थित वरिष्ठता हेतु सेवायें जोडे जाने का प्रकरण नियमानुकूल न होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या 2026/01/14:- **लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा पूर्व संस्थाओं में की गयी सेवा को वरिष्ठता लाभ हेतु जोड़ने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः--**

1. प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, समाज शास्त्र विभाग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 26-07-2025 अपराह्न को कार्य भार ग्रहण किया गया था, इसके पूर्व उनके द्वारा बी0एस0एन0वी0 महाविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 01-11-2021 से 26.07.2025 तक की गयी सेवा को वरिष्ठता हेतु आगणित किये जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 प्रस्तुत किया था जिसे उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2026 द्वारा निरस्त करके वर्तमान प्रार्थना पत्र को मा0 शिक्षा मंत्री/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन को अग्रसारित किये जाने का अनुरोध किया है। डॉ0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2026 मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए समस्त तथ्यों के आलोक में शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2\. डॉ0 अंजली गुलाटी, ऐसोसिएट प्रोफेसर, पुस्तकालय विभाग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 11-11-2022 अपराह्न को कार्य भार ग्रहण किया था। डॉ0 अंजली गुलाटी इसके पूर्व आई0टी0पी0जी0 कालेज, लखनऊ में CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति प्राप्त सेवाअवधि को वरिष्ठता हेतु आगणित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया था।

डॉ0 अंजली गुलाटी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पर निदेशक, विधिक की निम्नवत आख्या के आलोक में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

"डॉ0 अंजली गुलाटी, एसोसियेट प्रोफेसर, पुस्तकालय विज्ञान विभाग के लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा में आने से पूर्व आई0टी0 कालेज लखनऊ में दिनांक 21.09.2017 से 11.11.2022 तक की गयी सेवाएं मौलिक पद पर न होकर कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत है। उक्त सेवायें आगणन हेतु मौलिक पद पर नियुक्ति होना अनिवार्य है।

परिनियमावली 18.05 (d) में अंकित प्राविधानों के दृष्टिगत अन्यत्र महाविद्यालय में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अर्न्तगत प्रोन्नति प्राप्त प्रोफेसर की उक्त उवधि को वरिष्ठता हेतु आगणित किया जाना नियमानुकूल नही है"

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण नियमानुकूल ना होने के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकार किया गया।

मद संख्या **2026/01/15:-** लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों जिनका विवरण उनके सम्मुख अंकित है के स्थायीकरण हेतु परिनियमावली के परिनियम 9.0 के अन्तर्गत अर्ह शिक्षकों से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–

नोटः–

01\. प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रमांक 01 पर अंकित डॉ0 रूचि सिंह के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या–APP–8269-61 दिनांक 02-05-2025 द्वारा प्रचलित जॉच कार्यालय पत्रांक–वी0सी0/ 231/2025 दिनांक 11-09-2025 द्वारा शिकायत पूर्णतः आधारहीन एवं निराधार होने के कारण निक्षेपित की जा चुकी है। जिसके दृष्टिगत उक्त परिनियम के अन्तर्गत स्थायीकरण हेतु अर्ह है।

02\. प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रमांक 02 से 11 तक अंकित शिक्षकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं हैं, न ही कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आया है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	विभाग	कार्य परिषद की तिथि	नियुक्ति पत्र संख्या/दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण हेतु अर्हता की तिथि
1.	डॉ0 रूचि सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग	28-06-2023	App-13823 01-07-2023	05-07-2023 पूर्वान्ह	05-07-2024 पूर्वान्ह
2.	डॉ0 रूद्र प्रकाश ओझा	ऐसोसिएट प्रोफेसर	जैव रसायन विज्ञान विभाग	09-08-2024	App-15893 12-08-2024	12-08-2024 अपरान्ह	12-08-2025 अपरान्ह
3.	डॉ0 राज कमल श्रीवास्तव	ऐसोसिएट प्रोफेसर	जैव रसायन विज्ञान विभाग	09-08-2024	App-15908-13 12-08-2024	12-08-2024 पूर्वान्ह	12-08-2025 पूर्वान्ह
4.	डॉ0 निशा सिंह	ऐसोसिएट प्रोफेसर	जैव रसायन विज्ञान विभाग	09-08-2024	App-15988-16004 12-08-2024	31-08-2024 पूर्वान्ह	31-08-2025 पूर्वान्ह
5.	डॉ0 मधु कामले	ऐसोसिएट प्रोफेसर	परमोणविक विज्ञान और जैव विज्ञान विभाग	09-08-2024	R/988 16-10-2024	05-11-2024 अपरान्ह	05-11-2025 अपरान्ह
6.	डॉ0 सतीश चन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर	प्राच्य संस्कृत विभाग	07-10-2024	App-22893 07-10-2024	08-10-2024 अपरान्ह	08-10-2025 अपरान्ह
7.	डॉ0 सुचित्रा प्रसाद	असिस्टेंट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र विभाग	09-08-2024	App-15900 12-08-2024	12-08-2024 पूर्वान्ह	12-08-2025 पूर्वान्ह
8.	डॉ0 शोभाराम दुबे	असिस्टेंट प्रोफेसर	संस्कृत विभाग	07-10-2024	App-23067 08-10-2024	08-10-2024 अपरान्ह	08-10-2025 अपरान्ह
9.	डॉ0 चॉदनी कुमारी	असिस्टेंट प्रोफेसर	सांख्यिकी विभाग	26-11-2024	App-26408 27-11-2024	30-11-2024 पूर्वान्ह	30-11-2025 पूर्वान्ह
10.	डॉ0 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग	26-11-2024	App-26363 27-11-2024	27-11-2024 पूर्वान्ह	27-11-2025 पूर्वान्ह
11.	डॉ0 सीमा यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग	26-11-2024	App-26416 27-11-2024	28-11-2024 पूर्वान्ह	28-11-2025 पूर्वान्ह

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अंकित तालिका के शिक्षकों के स्थायीकरण पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/16:- डॉ0 अमृतॉशु शुक्ला, प्रोफेसर, भौतिक विभाग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 24-12-2021 अपराह्न को कार्य भार ग्रहण किया गया था, इसके पूर्व वह राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रोद्यौगिकी संस्थान, अमेठी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 अमृताशुं शुक्ला द्वारा पूर्व संस्थान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन रू0 1,82,200/–को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि 24.12.2021 से संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05.09.2022 के विनिश्चय संख्या 8 में अनुमोदन के क्रम कार्यालय पत्र संख्याः– टी–10728 दिनांक 24.05.2024 द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में शासन के पत्र संख्या–1129/सत्तर–4–2025 दिनांक 17.10.2025 द्वारा निम्नवत दिशानिर्देश प्रदान किया गया हैः– "उक्त दोनों संस्थायें लखनऊ विश्वविद्यालय तथा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रोद्यौगिकी संस्थान, अमेठी समकक्ष संस्थायें हैं, जो क्रमशः राज्य अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित हैं

4– इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त के आलोक में डॉ0 अमृताशु शुक्ला के वेतन संरक्षण के बिन्दु पर स्वस्तर पर निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें"

शासन के उक्त आदेश/मार्ग दर्शन के अनुपालन में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा शासन से प्राप्त आदेश/मार्ग दर्शन के आलोक में प्रकरण पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/17:- शासनादेश संख्याः– 3741/पन्द्रह(15)–41(1)/80 दिनांक 20 जून, 1989 वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यरत शिक्षकों को उनकी लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पूर्व संस्थान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन को संरक्षित किये जाने हेतु शासन से मार्गदर्शन/दिशानिर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष संस्तुति हेतु प्रस्तुत।

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	विभाग	लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि	पूर्व संस्थान का नाम एवं पदनाम	पूर्व संस्थान में प्राप्त मूल वेतन
1.	डॉ0 अभिषेक कुमार जायसवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	अंग्रेजी विभाग	04-07-2023 पूर्वाह्न	प्राचार्य, गुलाब सिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चान्दपुर–स्याऊ, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	रू0 63,000/–
2.	डॉ0 सौरभ कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन विज्ञान विभाग	14-07-2022 अपराह्न	पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम लखनऊ	रू0 75,300/-
3.	डॉ0 संजय सिंह यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	शिक्षा विभाग	29-03-2023 पूर्वाह्न	विद्यान्त हिन्दू पी0जी0 कालेज, लखनऊ	रू0 61,200/-
4.	डॉ0 संजय कुमार गौतम	असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन विभाग	01-07-2022 पूर्वाह्न	महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर	रू0 61,200/-
5.	प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय	प्रोफेसर	समाज शास्त्र विभाग	26-07-2025 अपराह्न	बी0एस0एन0वी0 कालेज, लखनऊ	रू0 1,77,400/-
6.	डॉ0 ओम प्रकाश	असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन विभाग	26-06-2022	संत कवि बाबा बैजनाथ, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी	रू0 75,300/-
7.	डॉ0 भरत कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन विभाग	16-09-2022 पूर्वाह्न	Controller of Patents & Designs, Patent officer-boudhik sampada Bhavan,	रू0 59,500/-

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त प्रकरणों पर शासन द्वारा आदेश/मार्ग दर्शन हेतु शासन को संदर्भित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/18:- **मा0 कुलाधिपति के समक्ष धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर प्राप्त दिशानिर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

1. डॉ0 उदय सिंह राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर दिनांक 09.09.2006 को गणित विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय नियुक्ति हुये थे तत्क्रम दिनांक 09.09.2010 को सहायक आचार्य स्टेज–2 एवं दिनांक 09.09.2015 को सहायक आचार्य स्टेज–3 पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत उनकी प्रोन्नति हुयी थी। डॉ0 उदय सिंह राजपूत द्वारा सह आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.09.2018 से स्वमूल्यॉकन प्रपत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर चयन समिति के निर्देश के क्रम में दिनांक 09.12.2022 से इनकी प्रोन्नति की गई जिसके विरूद्ध प्रोन्नति की तिथि को संशोधित किये जाने हेतु मा0 कुलाधिपति महोदया के समक्ष धारा–68 के अन्तर्गत डॉ0 उदय सिंह राजपूत द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्याःई–7392/जी0एस0 दिनांक 30.10.2023 द्वारा प्राप्त निर्देश "प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदन की प्रोन्नति के सम्बन्ध में की गई चयन समिति की संस्तुति दिनांक 09.12.2022 व तत्सम्बन्धी कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 28.03.2023 को नियमानुकूल न पाये जाने के दृष्टिगत अपास्त/निरस्त किया जाता है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद/नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए प्रत्यावेदन को उसकी अर्हता/देयता तिथि से याचित अनुतोष प्रदान करने हेतु नियमानुसार निर्णय लिया जाय" पर कार्यवाही हेतु गठित समिति की संस्तुति मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रचलित है।

इसी क्रम में मा0 कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई–6531/103–3/72/2024/05–जी.एस./2024–IV दिनांक 25.09.2025 मा0 कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या ई–7392/जी0एस0 दिनांक 30.10.2023 के अनुपालन में डॉ0 उदय प्रताप सिंह को उनकी अर्हता/देयता की तिथि दिनांक 09.09.2018 से प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. डॉ0 रेखा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर निर्गत पत्र दिनांक 10.06.2004 के क्रम में दिनांक 03.08.2005 को गणित विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में नियमित हुई थी। तत्क्रम दिनांक 03.08.2009 को सहायक आचार्य स्टेज–2 एवं दिनांक 03.08.2014 को सहायक आचार्य स्टेज–3 पर कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत उनकी प्रोन्नति हुयी थी। डॉ0 रेखा श्रीवास्तव द्वारा सह आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 03.08.2017 से स्वमूल्यॉकन प्रपत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर चयन समिति के निर्देश के क्रम में दिनांक 09.12.2022 से इनकी प्रोन्नति की गई जिसके विरूद्ध प्रोन्नति की तिथि को संशोधित किये जाने हेतु मा0 कुलाधिपति महोदया के समक्ष धारा–68 के अन्तर्गत डॉ0 रेखा श्रीवास्तव द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था जिस पर माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्याःई–7389/जी0एस0 दिनांक 30.10.2023 द्वारा प्राप्त निर्देश "प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत प्रत्यावेदिका की प्रोन्नति के सम्बन्ध में की गई चयन समिति की संस्तुति दिनांक 09.12.2022 व तत्सम्बन्धी कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 28.03.2023 को नियमानुकूल न पाये जाने के दृष्टिगत अपास्त/निरस्त किया

जाता है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद/नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए प्रत्यावेदिका को उसकी अर्हता/देयता तिथि से याचित अनुतोष प्रदान करने हेतु नियमानुसार निर्णय लिया जाय'' पर कार्यवाही हेतु गठित समिति की संस्तुति मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रचलित है।

इसी क्रम में मा0 कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक ई–6491/103–3/72/2024/05–जी.एस./2024–IV दिनांक 25.09.2025 मा0 कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या ई–7389/जी0एस0 दिनांक 30.10.2023 के अनुपालन में डॉ0 रेखा श्रीवास्तव को उनकी अर्हता/देयता की तिथि से दिनांक 03.08.2017 से प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. डॉ0 अशोक कुमार, सहायक आचार्य, सांख्यिकी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 रोहिणी यादव, सह आचार्य सांख्यिकी विभाग की नियुक्ति के सम्बन्ध में, सह आचार्य के पद पर पात्रता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति के समक्ष धारा–68 के अर्न्तगत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर मा0 कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्याः ई–382/जी0एस0 दिनांक 18.01.2023 द्वारा डॉ0 अशोक कुमार के प्रत्यावेदन को निस्तारित कर दिया गया था तथा डॉ0 रोहिणी यादव के चयन के सम्बन्ध में जॉचोपरान्त विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया था।

प्रकरण पर तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा जॉच समिति का गठन किया गया था जिस पर गठित समिति द्वारा अपनी आख्या में प्रक्रियात्मक त्रुटि बताते हुए कार्य परिषद के समक्ष रखे जाने की संस्तुति की गयी है। समिति की संस्तुति मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डॉ0 रोहिणी यादव को मा0 कुलाधिपति के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए दो सप्ताह में उनका पक्ष बिन्दुवार प्राप्त कर लिया जाय तथा प्रकरण की विस्तृत आख्या कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। डॉ0 रोहिणी यादव को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्य परिषद की अगली बैठक में बुलाये जाने के भी निर्देश प्रदान किये गयें।

मद संख्या **2026/01/19:-** श्री कृष्ण कान्त वर्मा द्वारा वर्ष 2017 में वाणिज्य संकाय में हुयी नियुक्तियों का लिफाफा नही खोले जाने पर मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या –ए–27062/2017 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-08-2025 पर निदेशक, विधिक द्वारा ''माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2025 के अनुपालन हेतु प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का अभिमत प्रदान किया गया है।

प्रकरण पर विश्वविद्यालय अधिवक्ता के विधिक अभिमत "Therefore, in my considered opinion, there is no good ground to challenge the said judgment and order dated 26-08-2025 passed in WRIT-A No.-27062/2017 (Krishna Kant Verma versus University of Lucknow & others) by the University of Lucknow" के दृष्टिगत प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत।

RM

मा0 कार्य परिषद द्वारा समग्र विचारोपरान्त वर्ष 2017 में सम्पन्न वाणिज्य संकाय में हुई नियक्तियों के सील बंद लिफाफे को खोले जाने पर अनुमोदन प्रदान किया। तत्पश्चात मा0 कार्य परिषद के समक्ष सीलबंद लिफाफा खोला गया तदोपरान्त चयन समिति की संस्तुति पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया:–

''मा0 न्यायालय में योजित याचिका संख्या–ए–27062/2017 में पारित आदेश दिनांक 26-08-2025 के अनुपालन में चयन समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण कान्त वर्मा को वाणिज्य विभाग, ल0वि0वि0 में असिस्टेंट प्रोफेसर (अन्य य पिछड़ा वर्ग श्रेणी) के स्थायी पद पर ऐकेडमिक लेवल 10 वेतनमान 57,700/– में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई''

मद संख्या **2026/01/20:-** डॉ0 नीरज जैन,सहायक आचार्य (सेवानिवृत्त), शारीरिक शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 01.07.2005 को नियुक्त हुये थे जो कि दिनांक 06.011.2020 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉ0 नीरज जैन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 7913 ऑफ 2021 पर पारित आदेश दिनांक 22.03. 2021 को अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2021 के साथ संलग्न करते हुए कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत ऐसोसिएट प्रोफेसर एवं तद्क्रम में प्रोफेसर के पद पर अपनी प्रोन्नति हेतु अनुरोध किया था, प्रस्तुत प्रार्थना पर कार्यालय पत्र संख्या टी–8443–47 दिनांक 22.06.2021 द्वारा विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः डॉ0 नीरज जैन द्वारा मा0 उच्च न्यायलाय में याचिका संख्या 14072/2021 योजित की गई जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को आदेश पारित किया गया जिसे संलग्न करते हुए डॉ0 नीरज जैन द्वारा पुनः दिनांक 05.07.2025 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय अधिवक्ता की आख्या दिनांक 27.09.2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 नीरज जैन द्वारा मा0 उच्च न्यायलाय में योजित याचिका संख्या 14072/2021 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनके दिनांक 06.11.2020 को सेवानिवृत्त होने के कारण नियमानुसार चयन समिति की बैठक आहूत नही की जा सकती है चयन समिति की कार्यवाही हेतु शिक्षक का सक्रिय सेवा में होना अनिवार्य है। अतः उक्त के आलोक में डॉ0 नीरज जैन के प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए प्रकरण को निक्षेपित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या **2026/01/21:-** डॉ0 डी0पी0 तिवारी, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के मौलिक पद पर दिनांक 15.03.1991 को नियुक्त हुये थे तद्क्रम में दिनांक 11.03.2019 तक निरन्तर कार्यरत रहें। कार्यालय पत्र संख्या टी–5107 दिनांक 11.03.2019 द्वारा वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार में कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण हेतु एक वर्ष का वेतन रहित असाधारण अवकाश धाराणधिकार सहित दिनांक 12.03.2019 से 11.03.2020 तक स्वीकृत किया गया था। डॉ0 डी0पी0 तिवारी दिनांक 12.03.2020 से 30.06.2021 तक असाधारण अवकाश को विस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.03.2020 में प्रार्थित अवकाश जॉच प्रचलित होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। उक्त जॉच की आख्या अद्यतन प्राप्त न होने के दृष्टिगत डॉ0 डी0पी0 तिवारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात भी पेंशन इत्यादि का

निस्तारण नही हो पा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति की आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष खोले जाने एवं उनका स्थगित अवकाश दिनांक 12.03.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 डी0पी0 तिवारी को उत्तर प्रदेश पेंशन नियमावली के अर्न्तगत अन्तरिम पेंशन प्रदान करने के सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा नियमों के आलोक में डॉ0 तिवारी के दिनांक 12.03.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक के असाधारण अवकाश की स्वीकृति हेतु प्रकरण को कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या **2026/01/22:-** शासनादेश संख्या 14/2024/सा0-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 में वर्णित तथ्यों कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिये NPS की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नांकित 24 शिक्षकों डॉ0 रूपेश कुमार, प्रों0 विमल जायसवाल, डॉ0 अनूप कुमार, डॉ0 राकेश द्विवेदी, डॉ0 अर्चना शुक्ला, डॉ0 रजनी श्रीवास्तव, डॉ0 राजेश्वर प्रसाद यादव, डॉ0 मीनल गर्ग, डॉ0 नन्द किशोर, डॉ0 शैली मलिक, डॉ0 शरद कुमार, डॉ0 पुनीत मिश्रा, डॉ0 सुरेश प्रसाद कनौजिया, डॉ0 मो0 तारिक, डॉ0 फातिमा रिजवी, डॉ0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ0 गुलाम नबी अहमद, डॉ0 शलिनी श्रीवास्तव, डॉ0 प्रेम चन्द्र सिंह यादव, डॉ0 नीरज जैन, डॉ0 राज कुमार, डॉ0 कल्पना सिंह, डॉ0 अन्नामलई सेंथिल कुमार, प्रो0 विनीता काचर को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1/1108458 /2025/70/6/ 2025 दिनांक 06.10.2025 द्वारा प्राप्त आदेश/निर्देशानुसार "शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद है जिसे वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।" शासन के उक्त निर्देश के क्रम में प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त अंकित 24 शिक्षकों के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में पुरानी पेंशन से आच्छादित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या **2026/01/23:-** डॉ0 सुशील कुमार मौर्या, सहआचार्य, रसायन विज्ञान विभाग के प्रकरण पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.07.2025 के मद संख्या 2025/04/S02 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियमों के आलोक में पत्रावली का पुनःपरीक्षण करने के उपरान्त यह संज्ञान में आया कि पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पूर्व सेवायें मौलिक पद पर न होने के कारण त्रुटिपूर्ण था जिसे कार्य परिषद के समक्ष पुनः रखे जाने का औचित्य नहीं पाया गया। प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या 2026/01/24:- **लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों के त्यागपत्र सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।**

1. डॉ0 हिमॉशु पाण्डेय, सहायक आचार्य,(संविदा), कम्प्यूटर विज्ञान एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा अपने पद से प्रस्तुत **त्याग–पत्र** पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय की स्वीकृति के अनुपालन में निर्गत पत्र संख्या App-14310-15 दिनांक 12-08-2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

2. डॉ0 नीलू शर्मा द्वारा सहायक आचार्य (संविदा) पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के पद से प्रस्तुत त्याग पत्र पर मा0 कुलपति महोदया द्वारा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत पत्र संख्या App-22861-67 दिनांक 22-12-2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

3. डॉ0 श्रुति कीर्ति कौशल द्वारा सहायक आचार्य (संविदा) एम0 काम0 (वाणिज्य) के पद से प्रस्तुत त्याग पत्र पर मा0 कुलपति महोदया द्वारा मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत पत्र संख्या App-19357-61 दिनांक 03-11-2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या 2026/01/25:- डॉ0 सैयद अरशद अली जाफरी, प्राच्य अरेबिक विभाग में सहायक आचार्य के स्थायी पद पर दिनांक 31.08.2006 अपरान्ह् से कार्यरत हैं जिसके क्रम में कैरियर एडवान्समेंट योजनान्तर्गत दिनांक 31.08.2010 से सहायक आचार्य स्टेज–2 एवं दिनांक दिनांक 31.08.2015 से सहायक आचार्य–स्टेज–3 प्रदान की जा चुकी है। कैरियर एडवान्मेंट योजनान्तर्गत सह आचार्य स्टेज–4 के रूप में प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 24.10.2019 की संस्तुति पर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 में यह निर्णय लिया गया कि यह चयन समिति प्रो0 एस0पी0 सिंह कुलपति के कार्यकाल समाप्ति के अन्तिम पक्ष में बिना कुलाधिपति महोदया की अनुमति के आयोजित की गई थी के कारण बंद लिफाफे को कुलाधिपति महोदया को प्रेषित कर दिया गया था। मा0 कुलाधिपति के पत्र दिनांक 17.03.2020 द्वारा एक माह के अन्दर प्रोन्नति की कार्यवाही नये सिरे से एक माह की अवधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे। मा0 कुलाधिपति के उक्त आदेश के विरूद्ध डॉ0 जाफरी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या ए–4575/2023 योजित किया गया जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.05.2023 में निम्नवत अन्तरिम आदेश पारित किया गया **"In the meantime, we stay the operation an encorcement of tmpugned orders dated 28-11-2019 as well as 17-03-2020 with a direction to the Executive Council to open sealed coverof the recommendation of the Selection Committee and proceed in accordance with law which shall be subject to final decision in the writ petition. The order passed today shall be with respect to the petitioners only"** मा0 न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन के पूर्व ही दिनांक 03.06.2023 को मो0 रिजवान द्वारा डॉ0 जाफरी की प्रोन्नति के विरूद्ध शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा निदेशक आई0क्यू0ए0सी0 से आख्या प्राप्त कर अध्यक्ष यू0जी0सी0 को मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु पत्र दिनांक 30.08.2023 को प्रेषित किया गया जिस पर अद्यतन मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

डॉ0 जाफरी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 29.05.2023 के क्रम में अवमानना याचिका संख्या 2168/2023 योजित की है जो कि अद्यतन लम्बित है।

डॉ0 जाफरी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या ए–4575/2023 में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2023 पर निदेशक, विधिक की निम्नवत आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

"Therfore, in view of above discussions; I am of the considered opinion, that the interim order dated 29-05-2023 passed in WRIT-A No.-4575/2022 (Dr. Syed Arshad Ali Jafri vs. University of Lucknow & others) should be complied within its letter spirit and the case of petitioner should be placed before the Executive Council of University of Lucknow and open the sealed cover envelope containing the Selection committee decision relating to the case,at the earliest."

"मा0 न्यायालय में योजित याचिका संख्या–ए–4575/2022 में पारित आदेश दिनांक 29-05-2023 के अनुपालन में चयन समिति की संस्तुति दिनांक 24.10.2019 पर अरबी और फारसी का प्राच्य विद्या बोर्ड में कैरियर ऐडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत ऐसोसिएट प्रोफेसर स्टेज–4 में अर्हता की तिथि यथा दिनांक 31.08.2018 से मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रोन्नति अनुमन्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या **2026/01/26:-** मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 फातिमा रिजवी, अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपिय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को दिनांक 15-09-2025 से 14-02-2025 (06 माह) तक प्रदान की गयी अध्ययन अवकाश (Sabbatical Leave) के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या टी–16762–66 दिनांक 12.09.2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या **2026/01/27:-** मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, सह आचार्य, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय को डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु विधि विभाग के सह आचार्य पद से 01 वर्ष के लिए वेतन रहित असाधारण अवकाश धारणधिकार सहित दिनांक 03-11-2025 अपरान्ह् से कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या App-19005-10 दिनांक 30-10-2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या **2026/01/28:-** श्रीमती निशात अख्तर आब्दी द्वारा प्रो0 एस0जेड0एच0 आब्दी के नाम पर स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध पत्र में निम्नवत प्रस्तावानुसार स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–

"The Gold Medal may kindly be awarded to the highest scorer in M.A. English from Canning College, University of Lucknow, each academic year.

In case of a tie between the highest scorers, the student who secures the highest marks in the final semester examination should be awarded the medal."

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/29:- कार्य परिषद की बैठक दिनांक 31 जुलाई, 2021 के अन्य मद में विनिश्चय संख्या–8 पर बायोकेमेस्ट्री विभाग के एम0एस0सी0 बायोकेमेस्ट्री पाठ्यक्रम में द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र/छात्राओं हेतु (Gold medal to be awarded annually to the student securing the second highest aggregate marks in M.Sc. Bio-chemistry) स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पारित आर्डिनेंस को निम्नवत संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रो0 जी0जी0 सनवाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैव रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुतः–

"डॉ0 रजनी सनवाल स्वर्ण पदक, एम0एस0–सी0 जन्तु विज्ञान विभाग व स्पेशलाइजेशन फिश एण्ड फिशरीज के साथ सभी सेमेस्टर में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने एवं जन्तु विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय केन्द्र के छात्र को ही प्रदान किये जाने की प्रबल संस्तुति की जाती है"

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/30:- ज्योतिर्विज्ञान विभाग में श्री दीपक सिंह द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में परास्नातक (ज्योतिर्विज्ञान) परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को **"श्री चन्द्रमणि सिंह स्वर्ण पदक"** दिये जाने के सम्बन्ध में स्वर्ण पदक स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/31:- डॉ0 बी0बी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त रेजीडेन्ट मेडिकल आफिसर, डिस्पेन्सरी, लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा अगस्त 2025 से एक वर्ष/अग्रेतर आदेशों तक विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि क्योंकि डिस्पेंसरी में रेजीडेन्ट मेडिकल आफिसर (ऐलोपैथ) के चारों सृजित पदों पर नई नियुक्तियॉ हो चुकी है और वर्तमान में ऐलोपैथ का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः डॉ0 बी0बी0 मिश्रा का सेवा विस्तार किये जाने को औचित्य नहीं पाया गया। तद्नुसार अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निरस्त किया गया जाता है।

मद संख्या 2026/01/32:- मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 प्रवीण कुमार सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक को पूर्व की भॉति 01 दिन का अन्तराल देते हुए दिनांक 19-08-2025 से अग्रिम 11 माह तक सेवाविस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या टी–17359–65 दिनांक 19.09.2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष संसूचनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या 2026/01/33:- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा घोषित वर्ष 2026 के सार्वजनिक/निर्बन्धित अवकाश की सूची मा0 कार्य परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या 2026/01/34:- उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 724/ 39–4–2016–42 (340)/86 दिनांक 17.06.2016 सर्तकता अनुभाग–4 द्वारा निर्गत पत्र के अनुपाल में लखनऊ विश्वविद्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

शासन के पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

मद संख्या 2026/01/S01:- डॉ मनीषा, सहायक आचार्य, एम0आई0एच0 विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2025 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डॉ0 मनीषा की अस्थायी प्रवक्ता के पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.06.1996 को चयन समिति के माध्यम से की गई थी।जिसके क्रम में राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा–31(3)बी के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2015 को डॉ0 मनीषा को विनियमित किया गया था जिसके क्रम में इनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि दिनांक 01.07.2011 से विभाग में पद रिक्त हो गया था जिसके दृष्टिगत उन्हें दिनांक 15.06.2015 के स्थान पर दिनांक 01.07.2011 से विनियमित किया जाय जिस पर तत्कालीन मा0 कुलपति महोदया द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था गठित समिति की आख्या दिनांक 12.12.2025 मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुतः–

"विभाग में डॉ0 अनिल कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2011 से पद रिक्त हुआ और डॉ0 मल्लिका सक्सेना को विश्वविद्यालय द्वारा कार्य मुक्त कर दिया गया। डॉ0 मल्लिका सक्सेना की कार्यमुक्ति के फलस्वरूप डा0 मनीषा ही एक मात्र शिक्षिका विनियमित किये जाने हेतु अर्ह थी।'

अतः डॉ0 मनीषा को मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास विभाग को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(3)(बी) के अन्तर्गत सहायक आचार्य के मौलिक रिक्त पद पर विनियमितीकरण की तिथि दिनांक 15.06.2015 के स्थान पर दिनांक 01.07.2011 से विनियमित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

डॉ0 मनीषा के प्रकरण पर गठित समिति की उपरोक्त आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि डॉ0 मल्लिका सक्सेना को लखनऊ विश्वविद्यालय से दिनांक 27.08.2014 को कार्य मुक्त किये जाने के उपरान्त ही उक्त पद को रिक्त मानकर इस पद के सापेक्ष डॉ0 मनीषा की विनियमितीकरण की तिथि को संशोधित करते दिनांक 15.06.2015 के स्थान पर दिनांक 27.08.2014 किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/S02 लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न में कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों जिनका विवरण उनके सम्मुख अंकित है के स्थायीकरण हेतु परिनियमावली के परिनियम 9.0 के अन्तर्गत अर्ह शिक्षकों से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। प्रस्तुत प्रस्ताव में अंकित शिक्षकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संस्थित नहीं है, न ही कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आया है।

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	विभाग का नाम	कार्य परिषद की तिथि	नियुक्ति पत्र संख्या/ दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थायीकरण हेतु अर्हता की तिथि
1.	डॉ0 ललित किशोर श्रीवास्तव	असिस्टेंट प्रोफेसर	विधि विभाग	24.02.2024 एवं 09.08.2024	App-16107 दिनांक 12.08.2024	12.08.2024 अपराहन	12.08.2025 अपराहन
2.	डॉ0 अंकित बाजपेई	असिस्टेंट प्रोफेसर	गणित विभाग	26.11.2024	App-26371 दिनांक 27.11.2024	29.11.2024 पूर्वान्ह	29.11.2025 पूर्वान्ह
3.	डॉ0 विनीश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	गणित विभाग	26.11.2024	App-271124 दिनांक 27.11.2024	18.01.2025 पूर्वान्ह	18.01.2026 पूर्वान्ह

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार अंकित तालिका के शिक्षकों के स्थायीकरण पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/S03 विश्वविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक /शिक्षणेत्तर पदों के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या: 75/225/1066/सत्तर–4–2025–70–4099/63/2025 दिनांक 09.10.2025 निर्गत किया गया है जिसमें पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 04.02.2000 दिनांक 15.07.2015 को अवक्रमित करते हुए संशोधन किये गयें हैं जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 09.10.2025 यथानुसार विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/S04 वित्त समिति की दिनांक 05-02-2026 को सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वित्त समिति की दिनांक 05-02-2026 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

तत्समय प्रस्तुत मद

मद संख्या 2026/01/A01: लखनऊ विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग की शोधार्थी सुश्री अदिति कुमारी के प्रकरण पर मा0 विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.08.2025 में विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 25.04.2025 में की गयी संस्तुति के आलोक में प्रकरण के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति महोदया द्वारा गठित त्रिसदस्यी समिति की निम्नांकि आख्या मा0 कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:–

"The Committee also recommends that a letter be issued by the University to the concerned thesis examiners to evaluate and recommend/not recommend the thesis for the award of Ph.D Degree in Biostatistics of Lucknow University.

The Committee opined that the rules and regulations of Ph.D Degree of the Lucknow University be strictly followed before processing the thesis for award of Ph.D Degree."

सांख्यिकी विभाग में संचालित Biostatistics प्राट्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थी सुश्री अदिति कुमारी के प्रकरण मा0 विद्या परिषद की बैठक संख्या 02/2025 दिनांक 08.08.2025 में गठित समिति की संस्तुति पर विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 2026/01/A02: **मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.12.2020 के विनिश्चय संख्या 08 पर रिसर्च सेल, रिक्रुटमेंट एण्ड एसेसमेंट सेल, ऐकेडमिक सेल, निदेशक नवीन परिसर, महाविद्यालय विकास परिषद, दिनांक 15.06.2013 में अधिष्ठाता, महाविद्यालय एवं तीन सहायक अधिष्ठाता नियुक्त करने तथा दिनांक 30.12.2020 के अन्य मद संख्या के विनिश्चय 01 पर अधिष्ठाता, प्रवेश के गठन एवं परिनियम में प्रतिस्थापित करने पर निर्णय लिया गया था तथा प्रस्ताव माननीय राजभवन को प्रेषित करने की संस्तुति प्रदान की गयी थी। जिसका विवरण निम्नवत है:–**

(i) लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च सेल के गठन को परिनियम में प्रतिस्थापित करने एवं प्रथम परिनियमावली के chapter-IIA के परिनियम 02.03.01(A) से 02.03.06(A) में प्रतिस्थापन हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया से अनुमोदन प्रदान कराने हेतु पत्रांक वी0सी0/16/2021 दिनांक 18.01.2021

द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन अद्यतन अप्राप्त है।

(ii) लखनऊ विश्वविद्यालय में **रिक्रुटमेंट एण्ड एसेसमेंट सेल** के गठन को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिनियमावली के chapter-IIA के परिनियम 02.04.01(A) से 02.04.06 (A) में प्रतिस्थापन किये जाने हेतु मा0 कुलाधिपति महोदया से अनुमोदन प्रदान कराने हेतु पत्रांका वी0सी0/12/2021 दिनांक 18.01.2021 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन अद्यतन अप्राप्त है।

(iii) लखनऊ विश्वविद्यालय में **ऐकेडमिक सेल (अधिष्ठाता ऐकेडमिक)** के गठन को परिनियम में प्रतिस्थापित करने एवं प्रथम परिनियमावली chapter-IIA के परिनियम 02.02.01 (A)से 02.02.07 (A) पर जोडने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया से अनुमोदन प्रदान कराने हेतु पत्रांक वी0सी0/14/2021 दिनांक 18.01.2021 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन अद्यतन अप्राप्त है।

(iv) लखनऊ विश्वविद्यालय में निदेशक, नवीन परिसर की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत Chapter II(A) के परिनियम 02.05.01(A) से 02.05.05 (A) तक प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति महोदया से अनुमोदन प्रदान कराने हेतु पत्रांक वी0सी0/18/2021 दिनांक 18.01.2021 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन अद्यतन अप्राप्त है।

(V) लखनऊ विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता प्रवेश के गठन को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के परिनियमावली के chapter-IIA के परिनियम 02.05.01(A) से 02.05.05 (A) में प्रतिस्थापन किये जाने हेतु मा0 कुलाधिपति महोदया से अनुमोदन प्रदान कराने हेतु पत्रांका वी0सी0/10/2021 दिनांक 18.01.2021 द्वारा अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कुलाधिपति महोदया का अनुमोदन अद्यतन अप्राप्त है।

(vi) कार्य परिषद की दिनांक 20.03.2020 को सम्पन्न बैठक के विनिश्चय संख्या 03 में महाविद्यालय विकास परिषद के गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–"परिषद द्वारा अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद के सहायतार्थ 02–03 अवैतनिक सह–संकायाध्यक्ष बनाये जाने की प्रक्रिया पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।

कार्य परिषद की दिनांक 15.06.2013 में कार्य परिषद द्वारा अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद एवं 03 सहायक अधिष्ठाता नियुक्त करने की संस्तुति करते हुए उसमें निम्नलिखित व्यवस्थायें प्रस्तावित की:–Constitution:- There shall be a Dean, College Development Council, assisted by 3 Associate Dean. The Dean shall not be below the rank of Professor and Associate Deans among the regular faculty m embers of the University.

Appointment:- The Dean, College Development Council and Associate Deans shall be appointed by the Vice Chancellor.

Tenure:- The Dean, College Development Council and Associate Deans shall hold

office for a period which shall be Co-terminus with that of the Vice-Chancellor. However it will be prerogative of the Vice-Chancellor toaoopint a new Dean, College Development Council shall be member of Admissions & Examinations Committee.

समिति द्वारा उक्त पर लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में 13.10(1) में समावेशित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–50(4) के अधीन माननीय कुलाधिपति महोदया के अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उक्त सेलों एवं पदों को परिनियम में प्रतिस्थापन की व्यवस्था उल्लिखित नही है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–50(4) निम्नवत व्यवस्था है:–

प्रत्येक नया परिनियम अथवा किसी परिनियम में परिवर्तन अथवा परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलाधिपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उससे अपनी सहमति को प्रतिधारित कर सकेगा अथवा उसे अग्रेतर विचार किये जाने के लिए कार्य परिषद के समक्ष विप्रेषित कर सकेगा।

(Every new Statute of addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.)

अतः उक्त प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सेल/अधिष्ठाता/निदेशक के पदों के गठन के प्राविधान पर मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में संशोधन पर अभी तक सहमति प्राप्त न होने के कारण तत्काल प्रभाव से इन सेलो का गठन व पदों को स्थगित किया जाता है। अग्रेतर समिति के सदस्यों द्वारा संदर्भित अधिष्ठाताओं को आवंटित कार्य अन्य अधिकारियों को आवंटित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद संख्या **2026/01/A03:** विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया सम्पादन के विषय पर विचार।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 संगीता साहू निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 से विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में विहित प्राविधानों के सम्बन्ध में प्रेच्छा की गयी, जिसके क्रम में डा0 साहू द्वारा यू0जी0सी0 2018 विनियमन में उल्लिखित निम्नवत प्राविधान की चर्चा की गयी:–

The Guidelines of UGC Regulations regarding CAS promotion from Professor to Senior Professor under **"UGC regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education, 2018"** was approved by the members of the Executive council, according to which constitution of selection committees and guidelines, assessment criteria and methodology, along with eligibility conditions are mentioned below:

5.0 CONSTITUTION OF SELECTION COMMITTEES AND GUIDELINESS ON SELECTION PROCEDURE:

5.1 Selection Committee Composition

IV. Senior Professor

(a) The Selection Committee for the post of Senior Professor in the University shall consist of the following persons:

i) Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee.

ii) An academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years

experience who is the nominee of the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
iii) Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years' experience in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university.
iv) Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' of experience) of the faculty, wherever applicable.
v) Head/Chairperson (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years

experience) or Senior-most Professor (not below the rank of Senior Professor/Professor, with a minimum of ten years' experience) of the Department/School.
vi) An academician (not below the rank of a Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) representing SC/ST/OBC/ Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.
(b) Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.
6.1 Assessment Criteria and Methodology:
(a) Tables 1 to 3 of Appendix II are applicable to the selection of Assistant Professors/ Associate Professors/ Professors/Senior Professor in Universities and Colleges;
6.2 The constitution of the Selection Committees and Selection Procedure as well as the Assessment Criteria and Methodology for the above cadres, through Career Advancement Scheme, shall be in accordance with these Regulations.
6.3 II. The Selection Committee specifications as contained in Clauses 5.1 to 5.4 shall be applicable to all Career Advancement promotions from Professor to Senior Professor (in University).

C. Career Advancement Scheme (CAS) for University teachers
V. Professor (Academic Level 14) to Senior Professor (Academic Level 15)
A Professor can be promoted to the post of Senior Professor under the CAS. The promotion shall be based on academic achievement, favorable review from three eminent subject - experts who are not of the rank lower than the rank of a Senior Professor or a Professor having at least ten years' of experience. The selection shall be based on 10 best publications during the last 10 years and interaction with a Selection Committee constituted in accordance with these Regulations.
Eligibility:
i) Ten years' experience as a Professor.
ii) A minimum of ten publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and Ph.D. degree has been successfully awarded to two candidates under his/her supervision during the assessment period.

उक्त परिप्रेक्ष्य में परिनियमावली में विहित प्राविधानों के साथ–साथ यह भी निर्णय लिया गया कि चयन समिति के गठन के संबंध में उल्लिखित प्राविधान **IV(iii)** हेतु कुलाधिपति महोदया द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किए जायेंगे।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त **UGC regulations 2018** जो कि राज्य सरकार द्वारा धारा 50(6) में 13.10.2019 को अंगीकृत किया गया और विश्वविद्यालय में 28.06.2019 से लागू हुआ, के आलोक में वरिष्ठ आचार्य की पदोन्नति की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद की अनुमति से कुलसचिव/सचिव, कार्य परिषद द्वारा समस्त मा0 कार्य परिषद सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

Amisla
कुलसचिव

अनुमोदित
05/02/26
कुलपति